

07/06/22

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी गण
के सम्मन पुनः प्राप्त हुए। तलमी से जाहिर खाया
कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 की मृत्यु हो चुकी है, इनके
कायम मुद्दाम भी पत्रावली पर नहीं हैं। अतः फौज
व्यक्तियों के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाने
से प्रार्थना पत्र Abate किया जाता है। पत्रावली फौज
पुनः लेकर नंबर दो क्रम ली।

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

